भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3371

21 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: जैव कीटनाशकों की बाजार में हिस्सेदारी

3371. श्री रमेश चंद बिंद:

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कीटनाशक बाजार में जैव कीटनाशकों के हिस्से का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार रासायनिक कीटनाशकों द्वारा फसलों, पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण जैव कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो जैव कीटनाशकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान उठाए गए विभिन्न कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या केरल सरकार ने कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है; और

(ड़) यदि हां, तो सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): कीटनाशकों की कुल खपत की तुलना में जैव कीटनाशकों की खपत के संदर्भ में जैव कीटनाशकों की बाजार हिस्सेदारी का वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	खपत (मीट्रिक टन / तकनिकी ग्रेड)			
	रासायनिक कीटनाशक	जैव कीटनाशक	कुल	जैव कीटनाशक का हिस्सा
2017-18	63406	7174	70580	**10.16%**
2018-19	59669	7203	66872	**10.77%**
2019-20	61701	8847	70548	**12.54%**
2020-21	62193	8647	70840	**12.21%**
2021-22	58720	8899	67619	**13.16%**

(ख) और (ग): भारत सरकार ने जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पंजीकरण समिति द्वारा जैव कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए सरल दिशानिर्देश तैयार किये गए है। इसके अलावा आईसीएआर- राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो (आईसीएआर-एनबीएआईएम) से स्ट्रेन की आणविक पहचान की पुष्टि और केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल) से उत्पाद के गुणवत्ता सत्यापन के पश्चात, कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9(3ख) के अंतर्गत दो वर्षों की अनंतिम पंजीकरण अवधि के दौरान व्यववसाय की अनुमति के साथ जैव-कीटनाशकों को अनंतिम पंजीकरण दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में अवस्थित अपने कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), आईसीएआर और केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएमसी) आदि के माध्यम से किसान फील्ड स्कूल, दो/पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम, किसान गोष्ठी, आईपीएम प्रदर्शनियों, बीज उपचार अभियान जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है, जहां कीट प्रबंधन के लिए रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में जैव कीटनाशकों, जैव नियंत्रण एजेंटों और वनस्पति यौगिकों और रासायनिक कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग, पंजीकरण समिति के अनुमोदित खुराक और लेबल पर दिए गए निर्देश पर किसानों, गैर सरकारी संगठनों/कीटनाशक डीलरों/राज्य कृषि कार्मिकों को जागरूक किया जाता है।

रबी सीजन 2021-22 में सीआईपीएमसी ने जैव कीटनाशकों का उपयोग करके बीज उपचार के महत्व को भी प्रदर्शित किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित विभिन्न आईपीएम गतिविधियों का विवरण **अनुबंध-I** पर है।

(घ) से (ड़): फरवरी 2019 के दौरान, केरल सरकार ने समूचे केरल राज्य में 60 दिनों के लिए ग्लाइफोसेट और उसके योगिकों की बिक्री, वितरण और उपयोग पर रोक लगाई थी। केरल सरकार ने केंद्र सरकार से आगे अनुरोध किया और समूचे केरल राज्य में ग्लाइफोसेट और उसके संजातो की बिक्री, वितरण और उपयोग पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। केरल सरकार की रिपोर्ट को वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संगरोध निदेशालय, फरीदाबाद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इस मामले की जांच पंजीकरण समिति द्वारा बनाई गई उप-समिति द्वारा की गई और उप-समिति की सिफारिश के अनुसार, सरकार ने ग्लाइफोसेट के उपयोग को कीट नियंत्रण ऑपरेटरों (पीसीओ) के माध्यम से अनुमति दिए जाने के लिए सा. आ. 2268 (अ) दिनांक 07.07.2020 में एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। मसौदा राजपत्र अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के परामर्श के बाद, केंद्र सरकार ने अधिसूचना सा. आ. 5010 (अ) दिनांक 25.10.2022 को जारी की जिसके तहत ग्लाइफोसेट के उपयोग की अनुमति केवल कीट नियंत्रण ऑपरेटरों (पीसीओ) के माध्यम से दी जाएगी।

अनुबंध-I

स्कीमों की वास्तविक उपलब्धियां (2019-20 से 2021-22)

घटक/कार्यकलाप	2019-20		2020-21		2021-22	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
आईपीएम- सर्वेक्षण क्षेत्र (लाख हे. में)	9.00	8.10	10.35	9.80	10.00	11.10
जैव नियंत्रक एजेंटों का लैब उत्पादन (मिलियन में)	2200	2111.20	3000	2500.02	3300	2890.19
संवर्धित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	0.90	0.89	1.50	1.32	1.65	1.44
संरक्षित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	8.50	8.42	9.00	8.09	8.85	8.95
एफएफएस की संख्या	720	712	351	351	282	282
प्रशिक्षित किसानों की संख्या	21,600	21,360	10,530	10,530	9,870	9,870
एचआरडी की संख्या (2 दिन)	120	101	30	28	80	80
प्रशिक्षित किसानों की संख्या	4,880	4,120	1,200	1,120	3,200	4,368

*****